

28/11/18

आज राजस्थान लोक अदालत दिल्ली में  
जनरल ता. दी गई गत आदेशों  
की पालना में दिनांक 27-18  
का पत्र हो

3

राजस्थान लोक अदालत  
न्याय अधिकार 2018

मंगलानंद शर्मा

28/11/18

पत्रावली राजस्थान लोक अदालत दिल्ली को ई  
माफिया सेम में प्रेषित। पत्रावली एवं पत्रावली  
पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।  
प्रार्थना का मूल वाद सीमा क्षेत्र का बांटा हुआ  
है चुक है। दावा उठी है न के कारण प्रार्थना का  
प्रार्थना - पर काफ़ी निष्पत्ती का वास्तविकता  
जाता है। चुक का प्रमाण सुना है प्रमाण  
के समझे तथा बाद वकील प्रवृत्त मोठ  
माफिया सेम में मूल वाद के प्रमाण है। निर्णय  
राजस्थान लोक अदालत दिल्ली माफिया सेम  
के समझे आज में लिखवाया जा कि प्रमाण

गया

Earst

सहायक कलक्टर  
दिल्ली

